



६४१।।

दूरभाष - 2286709
2286710

नवा चौका केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ५७९३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में

दिनांक : ३१ मार्च २०१६

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-इटावा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक वाहन्य वरिताओं तथा मालिन वरिताओं में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन्य वरिताओं तथा मालिन वरिताओं में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में गिर्वालिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक आफ इंडिया	HSC Code 728210100000115	BKID0007282	(धनराशि लाख रु० में) 34.316

क्र० रां०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/ मालिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	इटावा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न.पा.प. इटावा	घटिया अजमत अली में मुख्य मार्ग पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.476
2	इटावा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न.पा.प. इटावा	अशोक नगर पूर्वी (गार्ही नगर रिफ्यूजी कॉलोनी) में इण्टरलाकिंग कार्य।	2.528
3	इटावा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न.पा.प. इटावा	छिपेटी मलिन वस्ती में ट्रांसफार्मर सो नाले तक मुख्य मार्ग एवं दोनों तरफ की गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	13.712
4	इटावा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न.पा.प. इटावा	गो० छिपेटी मलिन वस्ती महतर ठोला अल्पसंख्यक वस्ती में इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	7.713
5	इटावा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न.पा.प. इटावा	गो० मेवाठी ठोला में मन सड़क श्री कैजनाथ प्रसाद सं श्री फैदम भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	4.887
गो०					34.316

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन्य वरिताओं तथा मालिन वरिताओं में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनानामत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन्य वरिताओं तथा मालिन वरिताओं में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रकीकृत लौ०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फालामाक प्रत्येक दिशा में सम्बन्धित पत्रादत्ती में रखा जाये।
- स्थानीय रतर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्ध स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम रतर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के राष्ट्रेक यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानामत कार्य हेतु पूर्व में सभी सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बन्धित है जिससे कि शारीरी धन का दुष्कर्याग न होने पाये अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तकाल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



608/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नद नंगना कंड्र 10 अशोक गार्ड, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 5- राज्यीय स्तर पर जो भी परियोजनाएं या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के राख गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/राज्यीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापति आदि गिरावट से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुरक्षित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-खाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही राज्यीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निश्चित मद में व्यय की जायेगी। एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही सामय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केंद्र, राज्य व राज्यीय करों की स्वीकृति पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शारान द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देशवृत्ति हो रही हो तो उसकी सुवना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के रामबन्धित अधिकारी संग्रह का रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शारान द्वारा उक्त परियोजना में आगाम के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेटेज की धनराशि एवं हितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमनुसार निर्धारित प्रपत्र पर गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, रामबन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।।
- कम्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।।